जिला गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक	विकम संवत्	10(कृ0) ज्येष्ठ 1933 (शा0)
18/2011	2068	जमशेदपुर,शुकवार, 27/05/11

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये भू– अर्जन शाखा का अधिसूचना।

विषय सूची **पृष्ट संख्या**

1. भू–अर्जन शाखा से सम्बंधित अधिसूचना। 01–02

झारखण्ड सरकार
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
(भू–अर्जन शाखा)

अधिसूचना (धारा –4)

संख्या– 118 /भू0अ0 दिनांक:– 6.05.11

चूँकि अपर उपायुक्त , पूर्वी सिंहभूम को यह प्रतित होता है कि ग्राम – उल्दा, थाना संख्या –1242, थाना –घाटशिला , परगना – घाटशिला , जिला –पूर्वी सिंहभूम में गालुडीह थाना भवन निर्माण हेतु सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये पूर्वोक्त ग्राम– उल्दा के भीतर कमोवेश–बीघा–छटाक–धूर जो मानक माप से कमोवेश 3.28 एकड के बराबर होता है , एक भू–खण्ड अपेक्षित है जिसका कुल खेसरों की संख्या 4 है , जिसकी अधिकृत खेसरों की संख्या एवं चौहद्दी निम्नांकित है–

अर्जनाधीन भूमि का अंश खेसरा संख्या–1027, 1028, 1029 एवं 1030/1726

चौहद्दी

उत्तर– 1026 एवं 1027/1729
दक्षिण– एन0 एच0 –33
पूरब– महुलिया सीमा
पश्चिम– 1028/अंश, 1030 एवं 1030/1726/अंश

यह अधिसूचना भू– अर्जन अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है , जिनका इससे सम्बन्ध हो। उक्त भूमि का नक्शा जिला भू– अर्जन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में देखा जा सकेगा।

अपर उपायुक्त , जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे पदाधिकारियों और

लगातार–2

कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति तामिला होने के 30 दिनों के भीतर धारा–5(ए) के अन्तर्गत संबंध व्यक्तियों द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त ,पूर्वी सिंहभूम, के समक्ष जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन संबंधी आपत्तियों पर विचार किया जायेगा ।

ह0/
जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर ।

ह0/
अपर उपायुक्त ,
पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर ।